न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
02/2019	दावा 177 RTA	11.01.2019	16.09.2019

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

—वादी—

बनाम

1. चानणमल पुत्र
2. जयचन्द पुत्र
3. रामकोरी पत्नी
4. रामेश्वरलाल पुत्र
5. सुखाराम पुत्र

} श्री पेमाराम जाति जाट निवासीगण रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

6. उप पंजीयक, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 177 व (63) (1) (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित — 1. पैरोकार राज उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री आनन्द बालाण प्रतिवादी सं. 1 से 5

निर्णय

वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 177 व सपठित धारा (63) (1) (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि रोही ग्राम रिबिया के खेत खसरा नं. 206/534 तादादी 3.8571 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 से 5 के नाम से संयुक्त खातेदारी बारानी कृषि भूमि दर्ज है। यह कि वाद की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं0 1 से 5 तक खातेदारों को, राज्य सरकार जो भूमि की वास्तविक मालिक है, ने भूमि सिंचित या असिंचित रूप में फसल काश्त करने, फसल काटने या किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपभोग करने हेतु ही दी गई है जिसे करने के लिए खातेदार पूर्णतया स्वतंत्र है व किसी अनुमति के बिना ऐसा कर सकता है परन्तु भूमि को किसी अन्य अकृषि कार्यो या उपयोग में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अध्यधीन अनुमति प्राप्त कर ही उपयोग में लिया जा सकता है। यह कि वाद की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी खातेदारों द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही प्राप्त अधिकारों के विपरीत अकृषि कार्य जिसमें भूमि की मिट्टी का कटाव कर भूमि को अन्य अकृषि प्रयोजन हेतु समतल कर दिया व भूमि पर आवासीय प्लॉटिंग कार्य करके भूमि की प्रकृति बदल दी है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि वाद की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 से 5 तक के खातेदारों ने बिना अधिकार के शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूमि की किस्म व प्रकृति बदल दी है व कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यकर क्षति पहुंचाई है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के कब्जे में उक्त भूमि को छोडा जाना उचित नहीं है क्योंकि खातेदार प्रतिवादी सं0 1 से 5 तक कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने के फलस्वरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेदखली योग्य हो गए हैं। यह कि प्रतिवादी सं0 1 से 5 के द्वारा मद संख्या 03 व 04 में वर्णितानुसार कृत्य करने पर विवादित भूमि को उनके खातेदारी अधिकार से हटायी जाने योग्य हो गई है एवं प्रतिवादीगण उक्त भूमि से बेदखल करने योग्य हो गये हैं व बेदखली होने के

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

फलस्वरूप खातेदारी अधिकारों के अवसान किये जाने योग्य हो गये हैं जिसके लिए माननीय न्यायालय को आर.टी. एक्ट की धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) में श्रवणाधिकार प्राप्त है।

यह है कि प्रतिवादी सं0 1 से 2 खातेदार द्वारा उक्त भूमि के आवासीय भूखण्डों (प्लॉटस) के विक्रय पत्र बिना भूमि का रूपान्तरण कराये बालाबाला प्रतिवादी सं0 6 उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाने की संभावना है इस कारण प्रतिवादी सं0 6 उप पंजीयक चूरू को पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को पटवारी हल्का के माध्यम से वादगत भूमि को अकृषि उपयोग में न लेने हेतु बार–बार कहा गया मगर प्रतिवादीगण ऐसा करने से इन्कार हो गये। अतः इसी दिनांक को वादी को भूमिधारी होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हैतुक (Cause of action) प्राप्त हुआ है। यह कि अदालतवाला को यह वाद सुनवाई के अधिकार प्राप्त है तथा दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। चूंकि दावा राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है इसलिये न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि:–

1. ग्राम रिबिया की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नं. 206/534 तादादी 3.8571 हैक्टेयर किस्म बारानी को प्रतिवादी सं. 1 से 5 तक की खातेदारी से हटायी जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित की जावे।
2. प्रतिवादी सं. 1 से 5 तक को उपरोक्त वर्णित भूमि से बेदखल करने का आदेश फरमाकर अनुगृहित करें।

वादी तहसीलदार चूरू द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से श्री आनन्द बालाण एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली प्रतिवादी सं. 1 से 5 के जवाबदावा में लम्बित चलती रही। प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से पेश जवाबदावे में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। यह कि दावा की मद सं. 1 में वर्णित अनुसार कृषि भूमि होना स्वीकार हैं लेकिन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के पूर्व से गत करीब 50 वर्षों से मौके पर गांव की आबादी भूमि बसी हुई है व लोगों ने गत 50–60 साल से मौके पर रिहायशी मकानात बना रखे हैं व आबादी है। इस प्रकार मौके पर रिहायशी यह कृषि भूमि ना होकर गत 50 वर्षो से अधिक वर्षों से आबादी है। यह कि दावा की मद सं. 3 में मिट्टी या कटाव कर समतल किये जाने के तथ्य पूर्णतया गलत लिखे गये हैं मौके पर गत करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से लोगों ने अपने रिहायशी मकानात बना कर रिहायश कर रहे हैं। प्रतिवादीगण ने किसी को भी रिहायश हेतु भूमि नहीं दी है बल्कि आबाद लोग करीब 50 वर्षों से अधिक समय से आबाद हैं। प्रतिवादीगण खातेदारों ने अकृषि कार्य नहीं किया है। यह कि दावा की मद सं. 4 में वर्णित तथ्य गलत लिखे हैं जो अस्वीकार किये जाते हैं। प्रतिवादीगण खातेदारों ने कृषि भूमि को अकृषि कार्य में नहीं लिया है। यह कि दावा की मद सं. 5 में वर्णित तथ्य गलत लिखे हैं। प्रतिवादीगण खातेदारान ने कृषि भूमि को अकृषि कार्य में नहीं लिया है बल्कि लोगों ने गत 50 वर्षों से अपने रिहायशी मकान बना रखे हैं व अपने अपने मकानों में रिहायश कर रहे हैं। यह कि दावा की मद सं. 6 में वर्णित तथ्य गलत लिखे हैं जो अस्वीकार किये जाते हैं। यह कि मद सं. 7 में वर्णित तथ्य गलत लिखे हैं जो अस्वीकार किये जाते हैं। पटवारी हल्का ने मौके पर कृषि भूमि को समतल करने की रिपोर्ट गलत लिखी है जबकि मौके पर गत 50 वर्षों से अधिक समय से करीब सैंकड़ों लोगों ने मकान बनाकर रिहायश कर रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी

अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा खारिज फरमाया जावे वा पटवारी हल्का/गिरदावर हल्का से मौके की वर्तमान स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई जाकर दावा का निर्णय फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से पेश जवाबदावा में दावा में अंकित कृषि भूमि को आवासीय उपयोग में लेना स्वयं स्वीकार के कारण तनकी कायम नहीं की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। पैरोकार राज ने पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् को ही साक्ष्यवादी मानने का निवेदन किया। साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर बहस सुनी गई।

पत्रावली पर पैरोकार राज एवं वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। पैरोकार राज ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 206/534 तादादी 3.8571 हैक्टेयर किस्म बारानी रोही ग्राम रिबिया प्रतिवादी खातेदारों को कृषि कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई थी परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा बिना संपरिवर्तन कराये तथा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तथा मौके पर भूमि को समतल करके पट्टियां लगाकर प्लॉटिंग कर दी है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया है तथा खातेदारों को दिये गये खातेदारी अधिकारों का उल्लंघन किया है, जिसको प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने अपने जवाबदावा में वादगत कृषि भूमि पर लोगों द्वारा रिहायशी मकान बनाकर परिवार सहित रहना स्वयं स्वीकार किया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 से 5 तक के खातेदार बेदखली योग्य हो गये हैं तथा वादगत भूमि को प्रतिवादी सं. 1 से 5 के खातेदारी अधिकारों के अवसान किये जाने योग्य हो गई है। अतः वादगत कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की खातेदारी से हटायी जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जावे। वादी ने दावा के साथ ग्राम रिबिया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खसरा नं. 206/534 तादादी 3.8571 हैक्टेयर किस्म बारानी एवं प्रमाणित नक्शा तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर दिनांक 24.09.18 पेश किये।

वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में अवश्य अंकित है परन्तु उक्त भूमि पर 50 वर्ष से अधिक समय से अन्य लोगों ने अपने रिहायशी मकानात बना रखे हैं तथा परिवार सहित उनमें निवास करते हैं। प्रतिवादी खातेदारों ने उक्त कृषि भूमि पर कोई अकृषि कार्य नहीं किया है। अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावे एवं मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर नियमानुसार निर्णय फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खसरा नं. 206/534 तादादी 3.8571 हैक्टेयर किस्म बारानी एवं प्रमाणित नक्शा तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर दिनांक 24.09.18 का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार उक्त वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 5 की खातेदारी भूमि दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी प0म0 खण्डवा पट्टा पीथीसर दिनांक 24.09.18 के अनुसार वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान में खातेदारों द्वारा उक्त भूमि को बिना संपरिवर्तन करवाये कृषि से अकृषि कार्य में ले रहे हैं। वर्तमान में मौके पर उक्त भूमि पर मकानात बने हुए हैं एवं उक्त भूमि आबाद है। प्रतिवादी सं. 1

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

से 5 का अपने जवाब में यह उल्लेखित किया गया है कि उक्त भूमि पर 50 वर्ष से अधिक समय से अन्य लोगों ने अपने रिहायशी मकानात बना रखे हैं तथा परिवार सहित उनमें निवास करते हैं जिससे यही प्रतीत होता है कि उक्त अन्य लोग प्रतिवादी खातेदारों की सहमति से इस कृषि भूमि पर आबाद हुए हैं। वादगत कृषि भूमि वर्तमान में भी प्रतिवादी सं. 1 से 5 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कृषि से भिन्न कार्य किया है तथा कृषि भूमि की प्रकृति को बदल कर मौके पर अन्य लोगों को आबाद कर कृषि से भिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया है तथा इसके लिए कोई संपरिवर्तन आदि नहीं करवाया है और न ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने जवाबदावा में स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त वादगत कृषि भूमि में अन्य लोग आवासीय मकान बना कर परिवार सहित रहते हैं परन्तु यह नहीं बताया है कि उक्त आवासीय मकान किसकी स्वीकृति से बनाये गये हैं। वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 5 को कृषि कार्यों हेतु दी जाकर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये थे। वादगत भूमि की वास्तविक मालिक राज्य सरकार है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने उनको दिये गये अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कृषि से भिन्न कार्य किया है तथा कृषि भूमि की प्रकृति को बदल कर मौके पर अन्य लोगों को आबाद कर कृषि से भिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया है तथा इसके लिए कोई संपरिवर्तन आदि नहीं करवाया है और न ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की है जिससे वादगत कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 1 से 5 की खातेदारी से हटायी जाकर राजकीय सिवाय चक घोषित करने योग्य है तथा वादी द्वारा पेश दावा प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 206/534 तादादी 3.8571 हैक्टेयर किस्म बारानी रोही ग्राम रीबिया तहसील चूरू से प्रतिवादी सं. 1 से 5 तक के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाते हैं और तहसीलदार चूरू को निर्देश दिये जाते हैं कि वादगत कृषि भूमि को राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 1 से 5 की खातेदारी से हटायी जाकर राजकीय सिवाय चक दर्ज किया जावे एवं कब्जा बहक सरकार लिया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

—वादी—

बनाम

1. चानणमल पुत्र
2. जयचन्द पुत्र
3. रामकोरी पत्नी
4. रामेश्वरलाल पुत्र
5. सुखाराम पुत्र

} श्री पेमाराम जाति जाट निवासीगण रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

6. उप पंजीयक, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 177 व (63) (1) (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नं. 02/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी पैरोकार राज वादी मिनजानिब मुदईब व श्री आनन्द बालाण एवं श्री हीरालाल एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:—

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 206/534 तादादी 3.8571 हैक्टेयर किस्म बारानी रोही ग्राम रीबिया तहसील चूरू से प्रतिवादी सं. 1 से 5 तक के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाते हैं और तहसीलदार चूरू को निर्देश दिये जाते हैं कि वादगत कृषि भूमि को राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 1 से 5 की खातेदारी से हटायी जाकर राजकीय सिवाय चक दर्ज किया जावे एवं कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16 माह सितम्बर सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू